महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2014-15/OG-GO/ -03-2015
दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Telangana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Forwarding of orders regarding consolidation and Revision of Pension to MP Universities pensioners as per 6th Pay Scale

Ref: 1.Govt. of Madhya Pradesh Higher Education Department order No. F 73-4/2011/38-3 dated 29.01.2015
2. AG (A&E) Madhya Pradesh SSA No.PR/General/SS/ DA-158/3265-3298 dated 24-02-2015

***

I am herewith enclosing a copy of Govt. orders Issued by Higher Education Dept. of Govt. Of MP and received under Special Seal from Accountant General (A&E) Madhya Pradesh, Gwalior by this office in the references cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to

The Joint Director
Pension Payment Office,
MJ Road, Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer

दू.भ./ Phone : 040 - 23236810 - 19
फैक्स/ Fax : 040 - 23232441
ई.मेल/ Email : agaeandhrapradesh@cag.gov.in
website : http://ag.ap.nic.in

5 कॉपी

①

By Regd. Post

331879049

367631
14/3/15

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, लेखा भवन झाँसी रोड़, ग्वालियर (म.प्र.) - 474002

Office of the Accountant General (A&E)-II Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) - 474002

पत्र क्रमांक /PR/General/SS/DA-158/3265-3298 दिनांक :- 24-02-15

To,

S.No.	Name of the Office
1.	Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad – 380 009
2.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Saharanpur Road, Majara, Dehradun – 248 171
3.	Accountant General (A&E), Odisha, Bhuvaneshwar – 751 001
4.	Accountant General (A&E), West Bengal, Kolkata – 700 001
5.	Accountant General (A&E), Maharashtra, Mumbai – 400 020
6.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, Allhabad – 211 001
7.	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad – 500 004
8.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati – 781 029
9.	Accountant General (A&E), Bihar, Patna – 800 001
10.	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi – 834 002
11.	Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram – 695 039
12.	Accountant General (A&E), Karnataka, Bangalore – 560 001
13.	The Director of Audit & Pension, Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun – 791 110
14.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong – 793 001
15.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, Chennai – 600 018
16.	Accountant General (A&E), Sikkim, Gangtok – 737 101
17.	Accountant General (A&E), Manipur, Imphal – 795 001
18.	Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima – 797 001
19.	Accountant General (A&E), Tripura, Agarthala – 799 006
20.	Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Srinagar – 190 009

महालेखाकार (ले. एवं ह) का का
Office of the Accountant General (A&E)
INWARD
3 MAR 2015
No.
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
Andhra Pradesh & Telangana
हैदराबाद/Hyderabad-500 004

324
13/3

21.	Accountant General (A&E), Punjab & U.T., Chandigarh – 160 017
22.	Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh – 160 047
23.	Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Shimla – 171 003
24.	Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur – 302 005
25.	Accountant General (A&E), Maharashtra, Nagpur – 440 001
26.	Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Raipur – 493 111
27.	Directorate of Pension, Govt. of Assam, Housefed Complex, Beltola, Guwahati
28.	Accountant General (A&E), Mizoram, Aizawl – 796 001
29.	Chief Controller of Accounts, Accounts & Treasuries, Mizoram, Aizawl
30.	P.A.O. – 5, New Court Building, Tis Hazari, Delhi – 110 054
31.	Asstt. Military Attache (Pension), Embassy of India, Kathmandu, Nepal
32.	Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi – 110 001
33.	Directorate of Accounts. Govt. of Goa, Panaji – 403 001
34.	Directorate of Accounts & Treasuries, New Municipal Road, Kumarakurupallam, Puducherry – 605 001

Sub.:-Regarding consolidation and revision of pension to M.P. universities' pensioners as per 6th Pay Scale.

Sir,

I am to enclose herewith Government of Madhya Pradesh Higher Education Department order No. F 73-4/2011/38-3 dated 29.01.2015 regarding above subject. I am to state that instructions contained therein may be followed strictly. The all pension disbursing authorities in your jurisdiction may be directed suitably to act as per above mentioned order.

Encl :- As above.

A K Mishra

Sr. Accounts Officer / P.R.

No. PR/General/SS/DA-158/ 3299 Date :-

Copy for information forwarded to :- Shri Lalit Dahima, Deputy Secretary, M.P. Govt. Higher Education Department Mantralaya, Bhopal with reference to your order No. F 73-4/2011/38-3 dated 29.01.2015.

Sd/-

Sr. Accounts Officer / P.R.

009375

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29/01/2015

क्रमांक एफ 73–4/2011/38–3, :: विभागीय आदेश क्रमांक 1801/434/2011/38–3, दिनांक 31.10.2014 द्वारा जारी आदेश की शर्तों के अंतर्गत मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को छठवें वेतनमान में पेंशन समेकन एवं पुनरीक्षण किए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. आदेश के बिन्दु क्रमांक 2.3 के संबंध में –

(अ) दिनांक 01.04.2014 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन का समेकन :–

1. दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में प्राप्त मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन (मंहगाई पेंशन एवं मंहगाई राहत को छोड़कर) का 2.26 गुणा राशि, पेंशन अथवा परिवार पेंशन की समेकित राशि (Consolidated Amount) होगी तथा इसका भुगतान अप्रैल 2014 (माह अप्रैल 2014 भुगतान माह मई 2014) से देय होगा । न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन रूपये 3025.00 प्रतिमाह देय होगी
2. उपरोक्तनुसार समेकित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि रूपये एवं पैसों में आने पर पैसे के भाग को आगामी रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।
3. इन निर्देशों के अंतर्गत समेकित पेंशन/परिवार पेंशन मूल पेंशन होगी ।
4. पेंशन/परिवार पेंशन का समेकन (Consolidation) करने के लिये रेडीरेकनर संलग्न है ।

(ब) दिनांक 01.04.2014 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण :–

PR/D.A. 158
06/02/2015

1. पेंशन का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन+ग्रेड पे) के आधार पर होगा । पेंशन 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर अंतिम माह के मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से देय होगी । अर्हकारी सेवावधि 33 वर्ष से कम होने पर आनुपातिक गणना के आधार पर पेंशन निर्धारित होगी ।
2. परिवार पेंशन अंतिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन+ग्रेड पे) के 30 प्रतिशत की दर से देय होगी । न्यूनतम पेंशन रूपये 3025.00 प्रतिमाह अथवा समय–समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित अनुसार होगी ।
3. मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम राशि रूपये 10.00 लाख होगी । ग्रेच्यूटी की राशि का निर्धारण करने के लिये अंतिम माह का मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन+ग्रेड पे) तथा इस पर देय मंहगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा । उपादान की गणना के लिये अधिकतम अर्हकारी सेवा 33 वर्ष होगी । उपादान की गणना, निम्नांकित सूत्र से की जावेगी :–

<u>(अंतिम वेतन + मंहगाई भत्ता) X सेवा अवधि के अर्द्ध वर्ष</u>

4

O/o A. G. (A&E) II
Madhya Pradesh Gwalior

PA/STR.II/221 दि. 6-2-15
AAO/PR
AAO/PA

निरन्तर –2

4. उपादान का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं किया जायेगा ।

2. दिनांक 01.04.2014 से पेंशन/परिवार पेंशन का समेकन एवं पुनरीक्षण होने से मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.04.2014 से 100 प्रतिशत मंहगाई राहत देय होगी । भविष्य में वित्त विभाग की सहमति से मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि की जा सकेगी ।

3. उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 80/434/2011/38-3, दिनांक 31.10.2011 के बिन्दु क्रमांक 2.5 के संदर्भ में पेंशन फण्ड की निधियों के प्रबंधन हेतु पूर्व की भाँति आयुक्त, उच्च शिक्षा को अधिकृत किया जाता है । वे समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रोफेशनल फण्ड मैनेजर की सलाह लेंगे तथा फण्ड की समीक्षा कर शासन को अवगत करायेंगे ।

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप सीआर 1181/B-3/चार/2014, दिनांक 15.01. 2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर प्रदान की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/1/15

(ललित दाहिमा)
उपसचिव
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 29/01/2015

पृ. क. एफ 73-4/2011/38-3,

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश , ग्वालियर ।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
5. वित्त विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल - उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर डालने का कष्ट करें ।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
8. कुलपति/कुलसचिव, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल एवं जबलपुर विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
9. संचालक, स्थानीय संपरीक्षा निधि, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
11. प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, अरेरा कालोनी, भोपाल ।
12. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

28/1/15

उपसचिव
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(5)

(11)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/चार(**भाग-1**) भोपाल दिनांक 03 अगस्त, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त-पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/ परिवार पेंशन का समेकन ।

--00--

राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01 जनवरी, 2006 से करने के निर्देश प्रसारित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन अथवा परिवार पेंशन का समेकन (Consolidation) निम्नानुसार करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

1.1 दिनांक 31 अगस्त, 2008 की स्थिति में प्राप्त मूल पेंशन (कम्युटेशन के पूर्व) अथवा परिवार पेंशन **(महँगाई पेंशन एवं महँगाई राहत को छोड़कर)** का 2.26 गुणा राशि, पेंशन अथवा परिवार पेंशन की समेकित राशि (Consolidated Amount) होगी तथा इसका भुगतान सितम्बर, 2008 (माह सितम्बर, 2008 भुगतान माह अक्टूबर, 2008) से देय होगा ।

1.2 न्यूनतम पेंशन/ परिवार पेंशन रूपये 3025/- प्रतिमाह देय होगी । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक रहेगी ।

1.3 वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी :-

पेंशनर/ परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 20 %
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 30 %
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 40 %
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 50 %
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 100 %

(5)

(11)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/चार(**भाग-1**) भोपाल दिनांक 03 अगस्त, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त-पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का समेकन ।

--00--

राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01 जनवरी, 2006 से करने के निर्देश प्रसारित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन अथवा परिवार पेंशन का समेकन (Consolidation) निम्नानुसार करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

1.1 दिनांक 31 अगस्त, 2008 की स्थिति में प्राप्त मूल पेंशन (कम्युटेशन के पूर्व) अथवा परिवार पेंशन **(महँगाई पेंशन एवं महँगाई राहत को छोड़कर)** का 2.26 गुणा राशि, पेंशन अथवा परिवार पेंशन की समेकित राशि (Consolidated Amount) होगी तथा इसका भुगतान सितम्बर, 2008 (माह सितम्बर, 2008 भुगतान माह अक्टूबर, 2008) से देय होगा ।

1.2 न्यूनतम पेंशन/ परिवार पेंशन रूपये 3025/- प्रतिमाह देय होगी । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक रहेगी ।

1.3 वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी :-

पेंशनर/ परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 20 %
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 30 %
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 40 %
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 50 %
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 100 %

तारीख निकल जाने के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से कर दें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/ राहत से समायोजित करें।

8- उपरोक्तानुसार समेकित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि रूपयों एवं पैसों में आने पर पैसे के भाग को आगामी रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

9- पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1979 में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किये जावेंगे ।

10- इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन / परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी । दिनांक 01 सितम्बर, 2008 (माह सितम्बर, 2008 की पेंशन जो माह अक्टूबर, 2008 में देय) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई, 2009 (माह जुलाई, 2009 की पेंशन जो माह अगस्त, 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मँहगाई राहत देय होगी । उपरोक्त पैरा-1.3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मँहगाई राहत देय होगी । मँहगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मँहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होंगी ।

11- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा समेकित की गई पेंशन / परिवार पेंशन की जाँच कोषालय अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

12- पेंशन/परिवार पेंशन का समेकन (Consolidation) करने के लिये रेडीरेकनर संलग्न है । रेडिरेकनर के कॉलम-1 में मूल पेंशन / परिवार पेंशन दर्शायी गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग